न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **22/2024** दायर दिनाँक **01.02.2024**

वादी

1. रणवीरसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी खोजास, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. इचरज कंवर पत्नी नारायण सिंह
2. महेन्द्रसिंह उर्फ महेश सिंह पुत्र नारायणसिंह
3. पुष्पाकंवर पुत्री नारायणसिंह पत्नी रणवीरसिंह हाल नि0 धमौरा
4. शम्भूसिंह राठौड़ पुत्र भागीरथसिंह उर्फ भंवरसिंह
5. सत्येन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह उर्फ भंवरसिंह
6. मगनकंवर पत्नी भागीरथसिंह उर्फ भंवरसिंह
7. विमलकंवर पुत्री भागीरथसिंह उर्फ भंवरसिंह पत्नी विरेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोजास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री जयप्रकाश वकील वादी।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **28.11.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 07 के वाकै सरहद खोजास के खेत खसरा सं0 507 रकबा 1.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 507/657 रकबा 1.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 298/655 रकबा 1.4100 हैक्टे0 व खसरा सं0 298/656 रकबा 1.4000 हैक्टे0 भूमि संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

1. वादी के हिस्से में खेत खसरा सं0 298/656 रकबा 1.4000 हैक्टे0 सम्पूर्ण यथावत भूमि नजरी नक्शा "अ" में मार्क A,B,C,D है तथा खसरा सं0 298/655 रकबा 1.4100 हैक्टे0 में से 1.0300 है भूमि नजरी नक्शे अनुसुची "अ" में '1' है, जो मार्क A1, B1,C1,D, है।
2. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के हिस्से में खेत खसरा सं0 507/657 रकबा 1.0300 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि नजरी नक्शे अनुसुची "अ" में मार्क E,F,G,H व खसरा सं0 298/655 रकबा 1.4100 हैक्टे0 में से 0.1900 हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शे अनुसुची "अ" में भाग '2' है जो मार्क E1,F2,G3,H4 है जो (B) से दर्शित है [illegible] रकबा 1.0300 हैक्टे0
3. प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 के हिस्से में खेत खस[illegible] "अ" में मार्क I,J,K,L सम्पूर्ण भूमि में से वादी का नाम ह[illegible] नजरी नक्शे [illegible] हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शे व खसरा सं0 298/655 रकबा 1.4100 हैक्टे0 [illegible] (A) से दर्शित है। अनुसुची "अ" में भाग '3' है, जो मार्क I1,J2,K3,L4 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:03 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार पैतृक कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर वादी के कब्जे काश्त अनुसार स्वत्रन्त्र खातेदार घोषित किया जावें।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 8 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4, 6 व 7 ने राजीनामा दिनांक 18.07.2024 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 2 व 5 का इकबालिया जवाब पेश हुआ।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी श्री नागपालसिंह व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री नेमीचन्द शर्मा की सुनी गई। पक्षकारान वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा एवं विधिवत बंटवारा करवाना चाहते है। उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

वाकै सरहद खोजास के खेत खसरा सं0 507 रकबा 1.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 507/657 रकबा 1.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 298/655 रकबा 1.4100 हैक्टे0 व खसरा सं0 298/656 रकबा 1.4000 हैक्टे0 में राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डीडवाना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना करते हुए, मौके पर जाकर पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए वादी व प्रतिवादी 01 ता 7 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में अविलम्ब न्यायालय में पेश करें।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 28.11.20[illegible] सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:03 IST
Reason: Self Attested

([illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना